GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF FORESTS

No.F.1(73) Forest/2012

Jaipur, dated: 20 NOV 2014

4007
28/11/14

ORDER

In reference to the clearance issued by MoEF, GoI vide letter No. 8B/Raj/09/01/2013/FC/855 dated 08-08-2013 for the project proponent Indian Oil Corporation Limited for diversion/ Re-diversion of 20.5218 ha. Forest area for purpose of laying of 785 Km. 28" OD (750mm) X 0-281" WT, API 5 LX 70 grade underground crude oil pipeline in the State of Gujarat and Rajasthan and Haryana under SMPL Debottlenecking project is Ajmer, Jaipur, Pali and Sirohi. As Project Proponent has complied the condition No. 18 of Final approval dated 08.08.2013 issued by GOI. State Government hereby Accords Approval of Final stage clearance under Section 2 of the Forest (Conservation) Act with the following conditions:-

PCCF(TREE)
28/11/14

1. The conditions imposed by MoEF, GoI in their clearance date 08.08.2013 will be complied by all concerned.
2. This order along with conditions imposed by the Central Government according to stage I and stage II clearance are mandatorily required to be displayed in the website by State Forest Department as well as by MoEF, GoI.
3. The project proponent should publish the entire forest clearances granted in verbatim along with the conditions and safeguards imposed by the Central Government in Forest Clearance in two widely circulated daily newspapers one in vernacular language and the other in English language so as to make people aware of the permission granted to the project proponent for use of forest land for non-forest purposes.
4. The copies of the Forest clearance should also be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
5. Any other condition as and when imposed by the State Government.

APCCF(FCA)
28/11

Sd/-
(C.S. Ratnasamy)
Secretary, Forest

Copy to the following for necessary compliance:-

1. Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Rajasthan, Jaipur.
2. Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Govt. of India, Kendriya Bhavan, Lucknow.
3. Sr. Assistant Inspector General of Forests, In-charge, Monitoring Cell, Forest Conservation Division, Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi – 110 003 - with a request to ensure uploading of the order passed by the State Government on the MoEF website.
4. Director, Regional Office (Headquarters), Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi – 110 003
5. Addl. Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer (FCA), Rajasthan, Jaipur - with a request to get the order and clearances uploaded on the State Forest Department website.
6. Chief Conservator of Forests, IT, Aravali Bhawan, JLN Marg, Jaipur - to ensure the uploading of the order and clearances on the State Forest Department website.
7. Concerned Regional Chief Conservator of Forests, Ajmer, Jaipur & Jodhpur
8. Deputy Conservator of Forest, Ajmer, Jaipur, Pali & Sirohi
9. Deputy General Manager (c) Indian Oil Corporation Limited Construction Offfice Plot no. 38-39, SDC Vinay Block 11, 4th Floor, Mauji Colony, Malviya Nager-302017.
10. Guard File.

3999
1-12-14

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय { मध्य क्षेत्र }

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज,
लखनऊ–226024
टेलीफैक्स–2324025

पत्र सं0 8 बी / राज0 / 09 / 01 / 2013 / एफ.सी. /855

दिनॉक: 08.08.2013

डाक–प्राप्ति 16 AUG 2013

सेवा में,

प्रमुख सचिव {वन},
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर ।

विषय : **Diversion/Reuse of forest land in Rajasthan for laying of 785 km. 28" OD (750 mm) x 0-281" WT, API 5 LX 70 grade underground crude oil pipeline in the State of Gujarat and Rajasthan and Haryana under SMPL Debottlenecking project of IOCL.**

सन्दर्भ : मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, का पत्रांक– एफ 14 ( ) 2007 / [illegible] / [illegible] / 6033, दिनांक 26.07.2013

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार का पत्रांक– प01(97)वन / 2008, दिनांक– 08.01.2011 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी गयी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 10.05.2013 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमे उल्लिखित शर्तों की अनुपालना अति0 मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी राजस्थान के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार Diversio/Reuse of forest land in Rajasthan for laying of 785 km. 28" OD (750 mm) x 0-281" WT, API 5 LX 70 grade underground crude oil pipeline in the State of Gujarat and Rajasthan and Haryana under SMPL Debottlenecking project of IOCL एवं 176 वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है किन्तु शर्त संख्या– 18 की पूर्ण अनुपालन आख्या क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्ध कराने के उपरान्त ही राज्य सरकार द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन के आदेश जारी किये जाएंगे।

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन क्षेत्र के दुगने अवनत वन भूमि अर्थात 41.0436 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र के आस–पास रिक्त पड़े स्थान पर यथोचित् वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन 202 / 1995 के अन्तर्गत आई.ए. 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 कें ओदशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एंव जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।
7. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों / स्टाफ को रसोई गैस / किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जससें निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।
9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वन क्षेत्र के आप पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

10. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।

11. भूमि के वापसी के बाद प्रयोक्ता अभिकरण के साथ आलोचना के पश्चात् छोटे बौने औषधीय पौधे लगाये जायेंगे।

12. अभ्यारण क्षेत्र में रात के समय किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जायेगा।

13. प्रयोक्ता अभिरण द्वारा नदी के नीचे से पाईप लाइन बिछाये जाने हेतु नवीनतम तकनिकी का प्रयोग किया जायेगा।

14. कूड ऑयल पाइप लाईन बिछाने हेतु खुदाई के उपरान्त उत्सर्जित मलवे को ठीक प्रकार से उसी जहग पर भरा जाएगा एवं शेश मलवे को सुरक्षित स्थान पर निस्तारित किया जाएगा।

15. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित योजना में जहॉ आवश्यक हो वहीं वृक्षों का पातन नही किया जाएगा एवं खुदाई के दौरान किसी भी वृक्ष की जड़ों को नुकसान नही पहुचायां जाएगा, खुदाई सुरक्षित रूप से की जाएगी।

16. कूड ऑयल पाईप लाईन बिछाने के बाद पूरे Stretch में उपयुक्त जाति के वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

17. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

18. प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नही होते हैं।

भवदीया,

(प्राची गंगवार)
उप वन संरक्षक (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वन महानिदेशक (एफ.सी.), पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन, वानिकी पथ, जयपुर, राजस्थान ।
3. उप वन संरक्षक, जयपुर/अजमेर/पाली/सिरोही, राजस्थान।
4. मुख्य निर्माण प्रबन्धक, इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0, निर्माण कार्यालय, प्लाट नं0– 38–39, एस0डी0सी0 विनय ब्लाक–।।, चतुर्थ तल, मौजी कालोनी, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान– 302 017
5. आदेश पत्रावली ।

(प्राची गंगवार)
उप वन संरक्षक (के0)

26/08/2013

भारत सरकार,
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)

1741,
30/5/13

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज,
लखनऊ–226024
टेलीफैक्स–2326696

पत्र सं0 8बी/राज0/09/01/2013/एफ.सी. /215

दिनॉकः 10.05.2013

सेवा में,

प्रमुख सचिव, (वन)
वन अनुभाग,
शासन सचिवालय,
जयपुर, राजस्थान

विषय : **Diversio/Reuse of forest land in Rajasthan for laying of 785 km. 28" OD (750 mm) x 0-281" WT, API 5 LX 70 grade underground crude oil pipeline in the State of Gujarat and Rajasthan and Haryana under SMPL Debottlenecking project of IOCL.**

सन्दर्भ : मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, का पत्रांक– एफ 14 ( ) 2012/व.सु/प्र.मु.व.सं/3253, दिनांक 28.03.2013

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार का पत्रांक– प01(97)वन/2008, दिनांक– 08.01.2011 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी गयी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 01.01.2013 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालना प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर, राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गई है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुंआ है कि केन्द्र सरकार Diversio/Reuse of forest land in Rajasthan for laying of 785 km. 28" OD (750 mm) x 0-281" WT, API 5 LX 70 grade underground crude oil pipeline in the State of Gujarat and Rajasthan and Haryana under SMPL Debottlenecking project of IOCL एवं 176 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैः–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के दुगने अवनत वन भूमि अर्थात 41.0436 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थान पर यथोचित् वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित)जमा करेगा।

3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 कें आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा किया जायेगा।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन. पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

5. भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशो के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या सी0ए0–1581, कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपकम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 मे जमा कराया जाये।

6. भूमि के वापसी के बाद प्रयोक्ता अभिकरण के साथ आलोचना के पश्चात् छोटे बौने औषधीय पौधे लगाये जायेंगे।

7. अभ्यारण क्षेत्र में रात के समय किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जायेगा।

8. प्रयोक्ता अभिरण द्वारा नदी के नीचे से पाईप लाइन बिछाये जाने हेतु नवीनतम तकनिकी का प्रयोग किया जायेगा। जिसका ब्यौरा प्रस्तुत किया जायेगा।

9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मलवे की विस्तृत गणना के साथ मलवा निस्तारण की योजना, निस्तारण बिन्दुओ तथा उसे व्यवस्थित करने का विवरण प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।

10. कूड ऑयल पाइप लाइन बिछाने हेतु खुदाई के उपरान्त उत्सर्जित मलवे को ठीक प्रकार से उसी जहग पर भरा जाएगा एवं शेष मलवे को सुरक्षित स्थान पर निस्तारित किया जाएगा।

11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित योजना में जहॉ आवश्यक हो वहीं वृक्षों का पातन नही किया जाएगा एवं खुदाई के दौरान किसी भी वृक्ष की जड़ों को नुकसान नही पहुचायां जाएगा, खुदाई सुरक्षित रूप से की जाएगी।

12. प्रस्तावित कार्य में वन क्षेत्र में होने वाले कार्यो का विवरण (item wise breakup) दिया जाए जिसे मानचित्र (plan map) में भी दर्शाया जाए।

उपरोक्त शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाय। प्रयोक्ता अभिकरण को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक कार्यान्वित नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते ।

भवदीया,

10/5/13

(प्राची गंगवार)
उप वन संरक्षक (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वन महानिदेशक (एफ.सी.), पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन, वानिकी पथ, जयपुर, राजस्थान ।
3. उप वन संरक्षक, जयपुर / अजमेर / पाली / सिराही, राजस्थान।
4. मुख्य निर्माण प्रबन्धक, इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0, निर्माण कार्यालय, प्लाट नं0– 38–39, एस0डी0सी0 विनय ब्लाक– II, चतुर्थ तल, मौजी कालोनी, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान– 302 017
5. आदेश पत्रावली ।

प्राची गंगवार)
उप वन संरक्षक (के0)